

सहकारी कृषि निवेश योजना

1-उद्देश्य-

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जिनकी जीविका का मूल आधार कृषि व्यवसाय ही है। कृषकों की उन्नत एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेशों यथा रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि, प्रमाणित बीज, तथा जिंक सल्फेट आदि का उचित मूल्य पर सामायिक रूप से वितरण कराया जाना सहकारी कृषि निवेश योजना का मुख्य उद्देश्य है।

2- कृषि निवेशों के वितरण का माध्यम

सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में कृषकों को कृषि निवेशों की आपूर्ति प्रदेश की न्याय पंचायत स्तरीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स), सहकारी संघों, सहकारी क्रय विक्रय समितियों, जनपद स्तर पर कार्यरत जिला सहकारी संघों व केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा शीर्ष सहकारी संस्थाओं यथा पी०सी०एफ०, उ०प्र० सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ, उ०प्र० आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ, इफको एवं कृषकों आदि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कृषि निवेश बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की जाती हैं। कृषि निवेशों के वितरण हेतु प्रदेश की जिला सहकारी बैंक तथा उनकी शाखायें वित्त पोषण का कार्य करती हैं।

3-कृषि निवेशों के वितरण का आधार

न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा सदस्य कृषकों को उनकी जोत के आधार पर तैयार की गई ऋण सीमा जिला सहकारी बैंक से स्वीकृत हो जाने के पश्चात सदस्य कृषक द्वारा निर्गत चेक के अनुसार सम्बन्धित कृषकों को कृषि निवेश की आपूर्ति नगद बिक्री के साथ-साथ वस्तु के रूप में (अंश "ख") एवं नगद (अंश "क") ऋण के रूप में भी की जाती है। ऋण की प्राप्ति हेतु वित्तमान का निर्धारण प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अपने-अपने जनपद की भौगोलिक स्थिति तथा फसलों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इस व्यवस्था से समितियां अपने-अपने कार्यक्षेत्र के कृषकों को सदस्य बनाकर आच्छादित करते हुए उन्हें कृषि निवेशों की आपूर्ति करती हैं। इस

प्रकार पूरे प्रदेश के कृषक सदस्य सहकारी क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। पैक्स के अतिरिक्त अन्य सभी सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि निवेशों की बिक्री केवल नगद आधार पर की जाती है। सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को वितरित किये जाने वाले कृषि निवेशों का मदवार विवरण निम्न प्रकार है:-

4- रासायनिक उर्वरक-

प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति मुख्य रूप से सहकारी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक सहकारी संस्थायें इफको एवं कृभकों से प्राप्त होती है, इफको एवं कृभकों द्वारा उत्पादित उर्वरक रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है, जहां से उर्वरक परिवहन कार्य हेतु अधिकृत सहकारी संस्था उर्वरकों का भण्डारण बफर गोदाम में करते हुए इफको एवं कृभकों द्वारा जारी निर्गत आदेश के आधार पर जनपद की विभिन्न सहकारी समितियों पर आपूर्ति सुलभ कराती है।

(4)1-गतवर्षों की प्रगति

सहकारिता विभाग द्वारा इस दशक के प्रारम्भ से वितरित किये गये रासायनिक उर्वरकों के वितरण की अद्यावधिक स्थिति निम्न प्रकार है:-

(मात्रा मै० टन में)						
क्र०	वर्ष	यूरिया	डी०ए०पी०	एन०पी०के०	एम०ओ०पी०	योग
1	2010-11	2090831	916113	645156	2570	3654670
2	2011-12	2128769	560033	729759	1055	3419616
3	2012-13	2277172	794869	432102	751	3504894
4	2013-14	2516212	869246	294932	983	3681373
5	2014-15	2360588	915918	317106	1021	3594633
6	2015-16	2347283	898440	312298	904	3558925

सहकारिता विभाग रासायनिक उर्वरकों के वितरण में वर्ष प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है, सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के कुल उर्वरक वितरण में अभी तक लगभग 50 प्रतिशत तक की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

(4) 2- आगामी योजना-

रासायनिक उर्वरकों के वितरण में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आगामी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक उर्वरकों के वितरण की वर्षवार योजना अधोलिखित है:-

(मात्रा लाख मै० टन में)		
क्रमांक	वर्ष	मात्रा
1	2016-2017	33.72
2	2017-2018	35.37 (प्रस्तावित)
3	2018-2019	37.20 (प्रस्तावित)
4	2019-2020	39.05 (प्रस्तावित)
5	2020-2021	41.00 (प्रस्तावित)

2-प्रमाणित बीज:-

प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन में प्रमाणित बीजों का भी अत्याधिक योगदान है। सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ अभियान में धान, बाजरा, अरहर एवं सोयाबीन तथा रबी अभियान में लोकप्रिय विभिन्न प्रजातियों के गेहूँ, चना, मटर, मसूर एवं राई/सरसों के बीजों का वितरण किया जाता है।

(2)1- प्रमाणित बीजों की प्राप्ति एवं वितरण का माध्यम:-

प्रमाणित बीजों की आपूर्ति पी०सी०एफ० के माध्यम से करायी जाती है पी०सी०एफ० के जनपद स्तरीय शाखाओं द्वारा समितियों / बिक्री केन्द्रों को वितरण हेतु समय से बीज उपलब्ध कराया जाता है। समितियों / बिक्री केन्द्रों द्वारा कृषक सदस्यों को ऋण एवं नकद बिक्री के आधार पर बीजों की बिक्री की जाती है।

(2)2- गत वर्षों की प्रगति

विगत 5 वर्षों की प्रमाणित बीज वितरण की अद्यावधिक प्रगति अधोलिखित है:-

क्र०	वर्ष	खरीफ	रबी	योग
1	2011-12	15552	828798	844350
2	2012-13	15439	488892	504331
3	2013-14	12535	478153	490688
4	2014-15	14096	604573	618669
5	2015-16	5878	203588	209466

(2) 3- प्रमाणित बीजों पर अनुदान व्यवस्था :-

खरीफ में वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित प्रमाणित बीजों पर अनुदान डी० बी० टी० योजनान्तर्गत सीधे कृषकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है।

3 -कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दरें-

प्रदेश में सहकारिता विभाग में कृषि-निवेशों यथा रासायनिक उर्वरक, प्रमाणित बीज, की सहकारी समितियों को आपूर्ति एवं कृषकों को फुटकर बिक्री की प्रचलित जारी सम्बंधित निर्गत परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध/अपलोड है दरे समय-समय पर परिवर्तनीय है।

↓